रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894
No. 380] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 17th August 1972

S.O. 556(E)/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O 509(E)/15A/IDRA/72, dated the 28th July, 1972, namely:—

In the said Order, under the heading *"Members"*, for serial No. 2 and the entry relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely:—

"2. Shri S. R. Chakravorty, Deputy Chief Inspector of Factories, West Bengal."

[No. F.25(19)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

का० आ० 556(अ)/आई० डी० आर० ए०/72.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 509 (ई) 15क आई-डी० आर० ए०/72, तारीख 28 जुलाई 1972 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश में "सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. श्री एस० आर० चक्रवर्ती, कारखाना उप-मुख्य-निरीक्षक, पश्चिम बंगाल।"

[सं० फा० 25/(19)/72-सी यू सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 19